बिहार राज्य में निशक्तजनों के सशक्तिकरण के लिये केंद्रीय योजनाओं संबधी समीक्षा दिनांक (26.09.2012) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनएचएफडीसी का वक्तव्य ।

महोदय, NHFDC, निःशक्तजनों के हित में पांच प्रमुख योजनायें कार्यांवित कर रहा है। ये योजनायें हैं :

1. स्वरोजगार हेतु निःशक्तजन को सस्ता ऋण मुहैया कराना । यह ऋण, 5 लाख तक की project पर 5/6 प्रतिशत की दर से मुहैया कराया जाता है। इसमें स्वरोजगार संबंधी कोई भी योजना बनाई जा सकती है ।

2. निःशक्तजनों की Skill Training हेतु NHFDC न केवल प्रशिक्षण का पूरा खर्चा उठाता है बल्कि प्रत्येक निःशक्तजन को प्रतिमाह रू 1,000/– का stipend भी उपलब्ध कराता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक साल तक का प्रशिक्षण शामिल है ।

3. पूरे देश में निःशक्तजनों के हित में NHFDC दो छात्रवृति योजनायें संचालित करता है । इन योजनाओं के अंतर्गत 1500 छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष दी जाती है । Trust Fund छात्रवृति योजना के अंतर्गत एक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष लगभग रू. 50,000/– की छात्रवृति दी जाती है जबकि National Fund के अंतर्गत एक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष लगभग रू. 15,000/– की छात्रवृति दी जाती है। दोनों छात्रवृति योजनाओं में Assistive Devices के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

4. हमने अनेक राज्यों में एक से अधिक State Channelising Agency की स्थापना की एक नई मुहिम की शुरूआत की है । इसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अब तक 25 Regional Rural Banks के साथ MoU किया है । इसकी विशेषता यह है कि हमें अपनी योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार से Block Government Guarantee की आवश्यकता नहीं पड़ती है । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह बैंक जब निःशक्तजनों को ऋण उपलब्ध कराते हैं तब उनसे Collateral Security नहीं लेते क्योंकि यह ऋण भारत सरकार की Credit Guarantee Scheme के अंतर्गत दिया जाता है । इसी तरह, हम Public Sector Banks के साथ भी MoU की अपेक्षा करते हैं ताकि सारे देश में, निःशक्तजनों को आसानी से शिक्षा ऋण दिया जा सके । Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, Union Bank तथा SBI के साथ हमारे प्रयास अंतिम चरण में हैं ।

5. हमने शिक्षा ऋण को और उदार बनाया है । देश में शिक्षा के लिए 10 लाख और विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 20 लाख रू तक का ऋण दिया जाता है । यह ऋण girl students के संबंध में 3.5 प्रतिशत की दर से एवं boys students के लिए 4 प्रतिशत की दर पर दिया जाता है । हमारी शिक्षा ऋण योजना बैंक ऋण योजना की तर्ज पर बनाई गई है जिससे कोई भी RRB या बैंक इसको बड़ी आसानी से लागू कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पर शिक्षा ऋण लेने हेतु एक online सेवा भी उपलब्ध कराई है ।

6. हम अपनी योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए State Channelising Agencies (SCAs) के साथ कैंप लगाते हैं ताकि हमारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा निःशक्तजनों तक पहुंच सके । हमारे अधिकारी कैंप में मौजूद रहते हैं और योजनाओं को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों का वहीं पर निराकरण भी करते हैं । इसमें SCA की जिला शाखा के प्रतिनिधी भी उपलब्ध रहते हैं। इस कैंप का सारा खर्चा NHFDC वहन करता है ।

मुझे बिहार के संबंध में यह निवेदन करना है कि बिहार में निःशक्तजनों की जनसंख्या लगभग 19 लाख है परंतु बिहार में NHFDC की इन योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है ।

Bihar में, बिहार राज्य पिछड़ा जाति वित एवं विकास निगम, हमारी SCA है और इसके साथ इस वर्ष फरवरी माह में ही हमारा MoU साईन हुआ है। बिहार सरकार ने इस SCA के लिए रू 10 करोड़ की Block Government Guarantee भी उपलब्ध कराई है । NHFDC ने इस वर्ष के लिए बिहार राज्य में 5 करोड़ रू के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है जिसमें लगभग 900 निःशक्तजनों को लाभ मिल सकता है । परंतु अभी तक इस वर्ष के छः माह के उपरांत भी SCA ने कोई भी फंड नहीं लिया है । हमारे बार–बार पूछे जाने के बाद भी हमें राज्य सरकार ने नवीनतम पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि अभी निःशक्तजनों के प्रार्थना पत्र एकत्रित किए जा रहे हैं और NHFDC, हमारे अनुरोध के पश्चात ही फंड उपलब्ध करायें । सचिव, **समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से अनुरोध है कि राज्य के निःशक्तजन के हित में इन बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं जल्दी से जल्दी NHFDC की योजनाओं का बिहार राज्य में कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।**

सचिव, समाज कल्याण से यह भी अनुरोध है कि राज्य के निःशक्तजनों की जनसंख्या को देखते हुए राज्य के चारों RRBs के साथ हमारा MoU भी करायें ताकि ज्यादा से ज्यादा निःशक्तजनों तक हम पहुंच सके । पिछले वर्ष नवंबर के माह में RRBs के साथ हमने एक बैठक की थी जिसमें राज्य आयुक्त (निःशक्तजन), निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) तथा SCA के प्रबंध निदेशक भी उपस्थित थे । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चारों RRBs के साथ NHFDC के सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए agreement किया जाना चाहिये। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । अतः यह अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी संपन्न कराया जाये ताकि राज्य में इन चारों RRBs के जरिए हम गांव–गांव में निःशक्तजनों तक पहुंच सके ।

आपको विदीत होगा कि भारत सरकार द्वारा Skill Training पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । NHFDC द्वारा कई राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के सहयोग से अधिक से अधिक निःशक्तजनों के Skill Training के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे है । इसके साथ ही हम रू 1,000/– प्रतिमाह की दर से निःशक्त Trainee को Stipend भी देते हैं । **अतः सचिव महोदय से यह भी अनुरोध है कि वे कम से कम दो NGOs का चुनाव करके हमें अवगत करायें ताकि हम बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की शुरूआत कर सकें । यह दोनों NGOs निःशक्तजनों को चिन्हित करने का कार्य करेंगे** जिनको VRCs, ITDC, NSIC, ATDC इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा । **राज्य सरकार से यह भी अनुरोध है कि राज्य में उपलब्ध Training Institutes की एक सूची भी NHFDC को उपलब्ध करायें ।**

हाल ही में हमने NHFDC की एक नई योजना भी बनाई है जिसके तहत निःशक्तजनों को 5 लाख रूपये तक का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपना रोजगार/स्वरोजगार की क्षमता विकसित करने के लिए Assistive Devices को ले सकें । ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें ।

NHFDC ने अपनी website के जरिए तीन online सेवाओं की शुरूआत की है, ये हैं छात्रवृति के लिए online सेवा, शिक्षा ऋण के लिए online सेवा तथा skill training हेतु सूचिबद्ध कराने के लिए online सेवा।

मेरा अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट www.nhfdc.nic.in का Link राज्य की संबंधित संस्थाओं और विभागों की वेवसाइट पर उपलब्ध करायें ताकि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके ।

****